न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021 /
Manual no- 78/2021

(Bank Case)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं शाखा कार्यालय– इन्द्रप्रस्थ इण्ड. एरिया, कोटा में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रेम शंकर शर्मा

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रद्युमन सिंह चौहान पुत्र श्री यदुनाथ सिंह उर्फ श्री प्रद्युमन चौहान पुत्र श्री यदुनाथ सिंह **(ऋणी / बंधककर्ता)**
   पताः मं. नं. 2–बी–10, तलवण्डी, कोटा (राज.) 324005
2. श्रीमती ज्योति चौहान पत्नि श्री प्रद्युमन सिंह चौहान **(सह–ऋणी)**
   पताः पताः मं. नं. 2–बी–10, तलवण्डी, कोटा (राज.) 324005

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 01 – .09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं शाखा कार्यालय– इन्द्रप्रस्थ इण्ड. एरिया, कोटा में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने शाखा इन्द्रप्रस्थ इण्ड. एरिया, कोटा से ऋण खाता संख्या 4023253560 को दिनांक 18.09.2018 को 11,70,000/–(अक्षरेः रूपये ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र), खाता संख्या 4024798897 को दिनांक 25.09.2018 को 35,00,000/–(अक्षरेः रूपये पेतीस लाख मात्र) ऋण, खाता संख्या 4029325519 को दिनांक 24.01.2019 को 12,00,000/–(अक्षरेः रूपये बारह लाख मात्र), कुल ऋण रूपये 58,70,000/–(अक्षरेः रूपये अठ्ठावन लाख सत्तर हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री प्रद्युमन सिंह चौहान पुत्र श्री यदुनाथ सिंह की आवासीय सम्पत्ति जो कि मं.नं.–2–बी,तलवण्डी, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2324.16 वर्ग फीट है चतु:सीमा पूर्व में– मं.नं. 2–बी–11, पश्चिम में–2–बी–9, उत्तर में–रोड़, दक्षिण में– 2–बी–25,26,व एक कार हैरियर मॉडल टाटा मोटर्स लि. जिसका रजिस्ट्रशन नं. आरजे.20 सीएफ 9515 चेसिस नं. MAT631111KPA50644 जो कि राज. परिवहन द्वारा श्री प्रद्युमन सिंह चौहान पुत्र श्री यदुनाथ सिंह के नाम से पंजीकृत है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज०)

का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के खाता संख्या 4023253560 में बकाया रूपये 10,70,684/- खाता संख्या 4024798897 में बकाया रूपये 35,47,342/- खाता संख्या 4029325519 में बकाया रूपये 10,78,249/- कुल बकाया रूपये 56,96,275/-रूपये (अक्षरे:- छप्पन लाख छियानवे हजार दो सौ पिचहत्तर रूपये मात्र।) दिनाक 03.04.2021 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 03.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वाराThe Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया । अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 03.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त. व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 03.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति श्री प्रद्युमन सिंह चौहान पुत्र श्री यदुनाथ सिंह की आवासीय सम्पत्ति जो कि मं.नं.-2-बी,तलवण्डी, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2324.16 वर्ग फीट है चतु:सीमा पूर्व में- मं.नं. 2-बी-11, पश्चिम में-2-बी-9 , उत्तर में-रोड़, दक्षिण में- 2-बी-25,26,व एक कार हैरियर मॉडल टाटा मोटर्स लि. जिसका रजिस्ट्रशन नं. आरजे.20 सीएफ 9515 चेसिस नं. MAT631111KPA50644 जो कि राज. परिवहन द्वारा श्री प्रद्युमन सिंह चौहान पुत्र श्री यदुनाथ सिंह के नाम से पंजीकृत है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01-09.2021को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)